

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचांची(धनबाद)

अभिलेख सं० ३७(११) / 2016-17

वाद का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

पदाधिकारी आदेश

14/10/16 झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन- सह - विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या- 3 - खा०म०निति - 119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागगीय परिपत्र संख्या - 914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र०अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा १९५५९८ थाना नं० २० खाता नं० ३१
प्लॉट नं० ८ रकबा ०.०५ एकड़ की
भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी ॥ के जिल्द सं० के पृष्ठ संख्या ३७ पर जमाबंदी रैयत जालीपट जेवा के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।


हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।

अभिलेख दिनांक 28/10/16 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
तोपचांची

तिथि	पदाधिकारी आदेश	अभियुक्त
28/10/16	<p>अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला के क्रम में पाया गया कि स्थल पर संदिग्ध जमाबंदी रैयत का प्लोट खाली है। संबंधित राजस्व कर्जाचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि भूमि झारखण्ड सरकार के खाते कि भूमि है एवं BPMA के तहत जमाबंदी कायम की गई है। झारखण्ड सरकार के भूमि पर BPMA के तहत बंदीबस्ती देना उचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः जमाबंदी को संदेहारूप में जमाबंदी का मामला मानते हुए जमाबंदी रद्द करने की अनुमति दी जाती है।</p> <p>अभिलेख भूमि सुधार उप समाहलसी, धनबाद को भेजे।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  अंचल अधिकारी तीपघाटी। </div>	